न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 05/2019 अपील/बासंवाड़ा
पंजीयन दिनांक– 29.11.2016
निर्णय दिनांक– 15.05.2019

श्री कानजी पिता जोखिया भील (निनामा) निवासी पादरापाड़ा तहसील घाटोल जिला बांसवाड़ा

..... अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार घाटोल जिला बांसवाड़ा

.....रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित :
श्री परमेश्वर पण्ड्या : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री योगेन्द्र दशोरा : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल
के प्रकरण संख्या 20/2012 निर्णय दिनांक 31.07.2012

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

दिनांक–15.05.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल के प्रकरण संख्या 20/2012 निर्णय दिनांक 31.07.2012 के विरूद्ध दिनांक 02.11.2016 को मयाद कण्डोन किये जाने हेतु मयाद प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढारमा (बडान) तहसील घाटोल में अपीलान्ट को भूतपूर्व सैनिक के नाते साबिक आराजी नम्बर 228 में से 5 बीघा आवंटित हुई। अपीलार्थी अनुसार उक्त आवंटित आराजीयात के सेटलमेन्ट से आराजी नम्बर 503 एवं 504 बनने चाहिये थे किन्तु सेटलमेनट की गलती से आराजी आराजी नम्बर 503 को आराजी नम्बर 227 से बनना बता दिये जाने से अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घाटोल के यहॉ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 बाबत दुरस्ती प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2012 से अपीलान्ट द्वारा भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पर्चा तस्दीक के समय कोई आपत्ति पेश नहीं करने, 20 वर्ष पश्चात गलत तरमीम पर बात करना एवं वर्तमान नक्शा अवलोकन से खसरा नम्बर 503 का 507 व 508 के बीच में स्थित होकर अन्य की खातेदारी में होने से अपीलान्ट का अनुतोष अस्पष्ट व विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज कर दिया गया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री परमेश्वर पण्ड्या व रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री योगेन्द्र दशोरा उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 10.05.2019 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में बताया कि अपीलान्ट को भूतपूर्व सैनिक होने से 10 बीघा एवं 05 बीघा कुल 15 बीघा भूमि का आवंटन हुआ। अपीलान्ट को आवंटित भूमि का जहां कब्जा सौंपा गया वहां वह काबिज है। अपीलान्ट का विवाद आराजी नम्बर 228 में आवंटित 05 बीघा भूमि का है जो संवत् 2047 से 2050 की जमाबन्दी में आराजी नम्बर 2863/228 रकबा 5 बीघा उसके नाम खातेदारी हक से दर्ज है। सेटलमेन्ट विभाग ने वक्त सेटलमेन्ट गलती से मिलान खसरे में कथित आराजी के मात्र आराजी नम्बर 504 रकबा 0.1100 है. ही बनाना बताया है जबकि 05 बीघा जमीन का रकबा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.0800 है. बनता है तथा आराजी नम्बर 503 रकबा 0.4700 है. जो कि वास्तविक रूप से साबिक आराजी नम्बर 2863/228 से ही बने है जिसे साबिक आराजी नम्बर 227 मी. से बनना बता दिया गा। आराजी नम्बर 504 व 503 मिले हुए तथा अपीलान्ट का आराजी नम्बर 507 व 508 से कोई संबंध नहीं है। प्रार्थी आराजी नम्बर 503 को खाते कराना चाहता है क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग ने मिलान खसरे में गलती से 228 के बजाय 227 बता दिया। इस कारण अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 इन्द्राज दुरस्ती बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। धारा 136 के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने कई फैसलों में यह तय किया कि सेटलमेन्ट द्वारा लेटेस्ट जमाबन्दी के इन्द्राज को रिपिट करना चाहिये उसे इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नहीं है। अपने कथन के पक्ष में न्यायिक नजीरे आर.आर. डी. 2001 पेज 60, आर.आर.डी. 1985 पेज 343, आर.आर.डी. 1983 पेज 64, आर.आर.डी. 2003 पेज 175, आर.आर.टी. 2001 (2) पेज 295, आर. आर.डी. 1998 पेज 261, आर.बी.जे. 2001 पेज 170, आर.बी.जे. 2002 पेज 332, आर.बी.जे. 2002 पेज 334, आर.बी.जे. 2003 पेज 118, आर.बी. जे. 2006 पेज 205, आर.बी.जे. 1996 पेज 8, आर.आर.टी. 2009(2) पेज 954 आर.आर.टी. 2008 पेज 151, आर.आर.टी. 2015 पेज 1214 व आर. आर.टी. 2013 पेज 226 पेश कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साबिल व हाल नक्शे को देखे बिना ही मर्जीकमसूद तरीके से जो आदेश पारित किया गया वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। अधीनसि न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र होते हुए भी अपने अधिकारों को काम में नहीं लेकर जो आदेश पारित किया वह बिल्कुल गलत है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को कहां कि आपको हर पेशी पर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता होगी तब बुला लूंगा। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को कथित मामला फैसल होने की कोई सूचना नहीं दी तथा अपीलान्ट अपने वकील साहब से दिनांक 19.09.2016 को मिलने गया व पेशी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आपकी पेशी का पता करते है व एस.झी.ओ. कोर्ट में जाकर पास लगाकर आये व अपीलान्ट को बताया कि आपका मुकदमा तो दिनांक 31.07.2012 को ही फैसल हो गया है तो उसी समय नकल लेने का प्रार्थना पत्र दिया व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नकल मिलते ही यह अपील पेश की है जो तारीख ज्ञान से अन्दर मयाद पेश की है। इस संबंध में हमने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा निवेदन किया कि वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में न्यायिक नजीरे सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1981 पेज 1400 पर तय किया है कि मयाद फैसले का ज्ञान होने की तारीख से माना जावेगा जैसा कि आर.बी.जे. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 133, आर.बी.जे. 1994 पेज 101,, ए.आई.आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 204, 1998 (7) एस.सी.सी. पेज 123, आर.बी.जे. 2002 पेज 191, आर.एल.डब्ल्यू. 1997 पेज 224 व 226 पर तय किया गया है कि वकील की गलती की सजा पक्षकार को नहीं दी जा सकती है इस बिन्दु पर आर.बी.जे. 2008 पेज 693 तय किया गया है ऐसे मामले में मयाद कण्डोन की जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर धीनसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कथित जमीन इन्द्राजात दरूस्त करा अपीलान्ट के खाते दर्ज कराई जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान पर्चा तस्दीक के समय कोई आपत्ति पेश नहीं करना, 20 वर्ष पश्चात गलत तरमीम पर बात करना एवं वर्तमान नक्श में खसरा नम्बर 503 का 507 व 508 के बीच में स्थित होकर अन्य की खातेदारी होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्ण रूप से विधि के अनुकूल है। अपीलान्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने का जो कारण बताया वह भी उपयुक्त नहीं जान पड़ता है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा 04 वर्षों की अवधि में अधीनस्थ न्यायालय में अपने विचाराधीन प्रकरण में जानकारी नहीं करना एवं अचानक 04 वर्ष बाद जानकारी हेतु वकील सा. के पास जाना एवं जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करना हास्यास्पद प्रतीत होता है। अपीलान्ट द्वारा जानकारी होने के बावजूद अपील को कण्डोन कराये जाने हेतु गलत तथ्य प्रस्तुत किये है। अतः अपील अपीलान्ट को मयाद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावें ।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के आवेदन पर अपीलान्ट के अधिवक्ता की उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 31.07.2012 को किया गया गया है। दिनांक 31.07.2012 के निर्णय की अपील के लिए 60 दिवस की अवधि दिनांक 30.09.2012 होती है, जबकि अपील दिनांक 02.11.2016 को पेश की गई है अर्थात् अपील 4 वर्ष 2 माह के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने के लिए जो आवेदन पेश किया है उसमें 4 वर्षों की मियाद कण्डोन किये जाने के लिए सारा दायित्व अधिवक्ता पर डाल दिया है। न्याय का प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि न्याय सिर्फ जागृत व्यक्ति को दिया जा सकता है। 4 वर्षो से भी ज्यादा की अवधि तक यदि कोई आवेदक अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं करता तथा सम्पर्क नहीं करने का दायित्व भी अपने अधिवक्ता पर आरोपित करता है तो इसे कदापि तर्क संगत नहीं माना जा सकता । अपीलान्ट द्वारा मियाद कण्डोन किये जाने बाबत न्यायिक नजीरे सुप्रीम कोर्ट ने ए.आई.आर. 1981 पेज 1400 पर तय किया है कि मयाद फैसले का ज्ञान होने की तारीख से माना जावेगा जैसा कि आर. बी.जे. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 133, आर.बी.जे. 1994 पेज 101,, ए.आई. आर. 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 204, 1998 (7) एस.सी.सी. पेज 123, आर. बी.जे. 2002 पेज 191, आर.एल.डब्ल्यू. 1997 पेज 224 व 226, आर.बी.जे. 2008 पेज 693 पेश की है, जिनका विनम्रता पूर्वक अध्ययन किया गया परन्तु उपरोक्त सभी न्यायिक नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत नहीं है साथ ही इस प्रकरण के तथ्यों पर तथा विचाराधीन अवधि के उपशमन के लिए लागू नहीं होती। अपीलान्ट द्वारा 4 वर्षों की अवधि के उपशमन के लिए दिये गये आधार न तो उचित है न ही पर्याप्त । अतः अपील अपीलान्ट प्रथम दृष्टया ही बेरून मियाद होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में न्याय हित में हम अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में वर्णित उज्रों पर भी प्रासंगिक विवेचन करना उचित समझते है। यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट को आराजी नम्बर 2863/228 रकबा 5 बीघा तथा 2862/228 रकबा 10 बीघा भूमि यानि कुल किता 2 रकबा 15 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार उपरोक्त भूमि के नये नम्बर 505 रकबा 0.23 है., 504 रकबा 0.11 है., 507 रकबा 0.30 है. एवं 508 रकबा 1.58 है. बने है, यह कुल रकबा 2.22 है. बनता है जबकि 15 बीघा के बरूए अपीलान्ट 2.40 है. का अधिकारी होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट की मांग यह है कि वह उक्त 15 बीघा भूमि आवंटन के समय से उसे आराजी नम्बर 503 रकबा 0.47 है. पर बिठाया गया तथा आराजी नम्बर 505 रकबा 0.23 है. पर उसका कब्जा नहीं होकर किसी अन्य का कब्जा है। उसका क्लेम यह है कि उसे आराजी नम्बर 503 दी जाये। हस्ब मिलान क्षेत्रफल आराजी नम्बर 503 साबिक आराजी नम्बर 227 से बना है जबकि अपीलान्ट को आवंटन आराजी नम्बर 228 से हुआ है। नक्शे के अवलोकन से भी यह प्रमाणित नहीं होता कि आराजी नम्बर 503 साबिक आराजी नम्बर 228 से बना हो तथा विशेषरूप से अपीलान्ट को आवंटित आराजी नम्बर 2863/228 , 2862/228 से बना हो। नक्शे के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि साबिक आराजी नम्बर 2862 व 2863 जो कि 228 के बटा नम्बर है उनकी सम्पार्श्वी सीमाओं में आराजी नम्बर 503 समाहित नहीं होता। अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर राविरा अंक 81 पेज 166 इस प्रकरण पर उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट द्वारा वांछित राहत कि उसे आराजी नम्बर 505 के स्थान पर 503 दिया जाय उसे नहीं दिये जाने हेतु अपने निर्णय में प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर आख्यापक टिप्पणी करते हुए निर्णय पारित किया है। यदि अपीलान्ट की आराजी नम्बर 505 पर कोई अन्य व्यक्ति बैठ जाता है/कब्जा कर लेता है तो इस आधार पर उसे अन्य आराजी नम्बर जो वर्तमान में उसके स्वत्व का होना प्रमाणित नहीं है उसे दे दिया जाय यह कदापि न्याय एवं विधि की मंशा नहीं है। अपीलान्ट उसके स्वत्व की आराजी नम्बर 505 का कब्जा प्राप्त करने को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को स्वतंत्र है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official